न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/58/2017

उनवान

1. हरिश कुमार आत्मज जमना लाल बह्मभट्ट निवासी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. गिरधर आत्मज जमना लाल बह्मभट्ट निवासी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 12/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.1.2017

अधिवक्तागण :–

1.श्री रमेश चेचाणी,अधिवक्ता अपीलार्थीगण

2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.12.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खाचरोल तहसील माण्डलगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 1015 रकबा 1 बीघा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

4 बिस्वा भूमि दिनांक 30.5.92 को गूलाब बाई पत्नि उदयलाल भाट पुत्री धूलीराम भाट निवासी माण्डलगढ को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गई तत्पश्चात पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि गूलाब बाई को मौके पर पैमूद कर सिपुर्द की गई। दिनांक 14.1.1991 को गूलाब बाई ने एक वसीयतनामा वादीगण के पक्ष में निष्पादित किया। वादग्रस्त भूमि वादीगण के कब्जे अधिकार में चली आ रही है । दिनांक 22.11.1993 को गूलाब बाबाई का देहान्त हो गया । वादीगण गूबाबबाई के कानूनन अधिकारी है। अतः आवंटित भूमि को वादीगण के नाम पर दर्ज की जाने हेतु वादीगण ने अनेक बार प्रतिवादी से निवेदन किया किन्तु अब तक वादीगण के नाम पर दर्ज नहीं की गई है। वादीगण ने सहायक कलेक्टर, भीलवाडा एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ को भी निवेदन किया । परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः ग्राम खाचरोल तसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा स्थित आराजी नम्बर 1015रकबा 1 बीघा 04 बिस्वाभूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति तो अपील के साथ प्रस्तुत कर दी परन्तु डिक्री प्रस्तुत नहीं की

(कैलास चन्द [illegible])
भू-प्रबन्ध [illegible] एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

जा सकी । अतः डिक्री प्राप्त कर अविलम्ब प्रस्तुत की है। अतः डिक्री प्रस्तुत किये जाने मेहुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि मौजा खाचरोल तहसील माण्डलगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 1015 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि दिनांक 30. 5.92 को गूलाब बाई पत्नि उदयलाल भाट पुत्री धूलीराम भाट निवासी माण्डलगढ को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गई तत्पश्चात पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि गूलाब बाई को मौके पर पैमूद कर सिपुर्द की गई। दिनांक 14.1. 1991 को गूलाब बाई ने एक वसीयतनामा वादीगण के पक्ष में निष्पादित किया। वादग्रस्त भूमि वादीगण के कब्जे अधिकार में चली आ रही है । दिनांक 22.11.1993 को गूलाब बाई का देहान्त हो गया । वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त होने तथा गूलाब बाई द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा किया गयाहै इस तथ्य अपीलार्थीगण ने गवाहान के बयान से साबित कराया है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र खारिज किया । जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे। अथवा वाद पत्र को अज सिरे नो निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

6. प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलाण्ट्स खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किय है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है। अपीलार्थीगण के दादी जी गुलाबबाई को मौजा खाचरोल तहसील माण्डलगढ स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1015 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि दिनांक 30.5.92 को आवंटित की गई है। आवंटित भूमि की किस्म पाल होना राजस्व रेकार्ड में गैर काबिल काश्त पाल दर्ज रेकार्ड है। आवंटन हेतु आवेदन पत्र में भी भूमि की किस्म पाल होना दर्शाया गया है। इस प्रकार पाल किस्म की भूमि का आवंटन राजस्व नियमों में बाधित है। इस सबंध में याचिका अब्दुल रहमान बनाम सरकार में आवंटन पर रोक लगाई गई है। वादग्रस्त भूमि की वसीयत किये जाने के समय अपीलार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी प्राप्त नहीं थी। वर्तमान में आवंटिति की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थित में वादीगण को वाद पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते हैं।

8. अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है एव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

डिक्री दिनांक 25.1.2017 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री के सी लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/58/2017

उनवान

3. हरिश कुमार आत्मज जमना लाल बह्मभट्ट निवासी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
4. गिरधर आत्मज जमना लाल बह्मभट्ट निवासी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 12/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.1.2017

अधिवक्तागण :–

1.श्री रमेश चेचाणी,अधिवक्ता अपीलार्थीगण

2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/58/2017 मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 27.12.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री रमेश चेचाणी वकील एवं राजकीय अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश सोनी की उपस्थिति मे दिनांक 27.12.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि:–

अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है एव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.1.2017 को यथावत रखा जाता है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 27.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड्रिकी जारी की जाती है।

(कैलाश लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस